न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 52 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. इन्द्राराम पुत्र शोभाराम 2. गीगाराम पुत्र फफाराम 3. श्रीमती समदों पत्नी फफाराम 4. मेराराम उर्फ भेराराम पुत्र पुराराम 5. दीपाराम पुत्र पुराराम जाति मेघवंषी निवासी अम्बेडकर नगर साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा 6. श्रीमती अन्तरो पुत्री केसाराम पत्नी जोगाराम जाति मेघवंषी निवासी सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	बनाम	1.हीराराम पुत्र फूसाराम 2.बागाराम पुत्र मंगलाराम 3.चुकी पुत्री मंगलीया उर्फ मंगलाराम 4.मांगीदेवी पुत्र मंगलाराम 5.चुन्नीदेवी पत्नी मंगलाराम 6.केहराराम पुत्र मंजीराम 7.ताराराम पुत्र मंजीराम जाति मेघवंषी निवासी अम्बेडकर नगर साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा 8.सवीया उर्फ सवाराम पुत्र नेनीया उर्फ नेनाराम 9.धोगडीया उर्फ धीगड़ाराम पुत्र नेनीया उर्फ नेनाराम जाति मेघवंषी निवासी अम्बेडकर नगर साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा 10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 101 / 2019 बअनवान हीराराम वगै. बनाम सवीया वगै. में पारित आदेश दिनांक 22.10. 2020 के विरूद्व पेष हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री दिलीपसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पूनमाराम रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 07 की ओर से।
3. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 08 व 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.04.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नोजीदेवी ने अपने खेत मूल खसरा संख्या 75 के तरमीम खसरा संख्या 248 / 75, 250 / 75, 249 / 75 कुल रकबा 121.07 बीघा भूमि मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह की भूमि पर अपने सेढा पाड़ोसी खसरा संख्या 77 रकबा 144.01 बीघा भूमि में से आने जाने हेतु संलग्न परिषिष्ठ अ में मार्क अ से ब में 13 फीट चौड़ा आवागमन हेतु रास्ते की घोषणा करवाने चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

देने से खेत दो भागों में विभाजन हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आलोच्य आदेष की पालना में प्रस्तावित रास्ते से अपीलांटगण की भूमि को दो भागों में विभाजित किया गया है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेष पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेषान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए अपीलाधीन प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवष्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 08 व 09 ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश से प्रस्तावित रास्ता निकलाने हेतु हमारे द्वारा सहमति प्रदान दी गई। अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाकर मौके पर रास्ता निकाला जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत आवेदन में प्राप्त मौका फर्द पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः मौके से मौका फर्द मंगवाई। अंतिम और तीसरी बार प्राप्त मौका फर्द दिनांक 17.09.2020 पर विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार मौके पर खसरा संख्या 250/75 में आवागमन हेतु रास्ते की लम्बाई 53 जरीब एवं चौड़ाई 2 गट्ठा अनुसार रास्ते का क्षेत्रफल 02.13 बीघा बनता है जो कि **रेत के धोरे(टीले) से गुजरने के कारण दुर्गम रास्ता है** जबकि परिशिष्ठ 'अ' अनुसार रास्ते की लम्बाई 26 जरीब एवं चौड़ाई 2 गट्ठा से रास्ते का क्षेत्रफल 01.06 बीघा बनता है जो खसरा संख्या 250/75 में आवागमन हेतु **सबसे नजदीकतम एवं सुगम रास्ता है।** वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 101/2019 बअनवान हीराराम वगै. बनाम सवीया वगै. में पारित आदेश दिनांक 22.10.2020 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेष आज दिनांक 06.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर